

## थाना चरखारी पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह गठित की गयी उ0नि0 विनोद कुमार सिंह ,उ0नि0 शत्रुघन सिंह बुंदेला मय हमराह का0 राममिलन सिंह, का0 पवन कुमार, का0 कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने केस न. 5691/22 धारा 138 NI ACT से सम्बन्धित अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 25 वर्ष को ग्राम गुढ़ा अनघौरा तिराहा से गिरफ्तार किया गया व मु.न. 624/14 ,अ.सं. 990/14 धारा 325/323/504/506 IPC से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र बृजगोपाल निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 59 वर्ष को ग्राम गोरखा से गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायलय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. उ0नि0 शत्रुघन सिंह बुंदेला
3. का0 राममिलन सिंह
4. का0 पवन कुमार
5. का0 कुलदीप कुमार

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पुष्पेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 25 वर्ष
2. इन्द्रपाल पुत्र बृजगोपाल निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 59 वर्ष



## थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित की गयी उ0 नि0 रवि कुमार सिंह मय हमराह का0 गौरव सविता, का0 राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्त क्रमशः 1. बलवान पुत्र जगू खाँ निवासी ग्राम नेकपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा संबंधित मुकदमा नं0 256/2021 धारा 504/323 भादवि महोबा 2. मंगल राजपूत पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम नगाराघाट थाना पनवाड़ी जनपद महोबा संबंधित मुकदमा नं0 204/17 धारा 60(2) आब0अधि0 के वारण्टी उक्त अभियुक्तगणों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्तों को सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रवि कुमार सिंह
2. का0 गौरव सविता 3. का0 राहुल कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।



## थाना कबरई पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1. मुकेश पुत्र राजू गुप्ता उर्फ देवीप्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मु० शंकरपुरवा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु.नं. 1775/18 धारा 4/5घ विस्फोटक पदार्थ अधि० मा० न्यायालय सीजेएम महोबा 2. मान सिंह यादव पुत्र रामपाल उर्फ रामफल यादव उम्र करीब 37 वर्ष निवासी मु० मोचीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु.नं. 601502/11 धारा 279/337/338/304ए भादवि व 186 एमवी एक्ट माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा 3. हल्के पुत्र छोटा विश्वकर्मा उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम खरका थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु०नं० 1360/2011 धारा 77 भा०वन्य अधि० माननीय न्यायालय **CJM** महोबा 4. जगमोहन कुशवाहा पुत्र सुखदेव कुशवाहा निवासी मु० इन्दिरानगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 26 वर्ष सम्बन्धित मु०नं० 444/14 धारा 25 आर्मस एक्ट माननीय न्यायालय **CJM** महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

### प्रथम टीम

1. उ०नि० राशिद अली
2. हे०कां० वसीम अहमद
3. हे०कां० रामकरन

### द्वितीय टीम

1. उ०नि० हरी कुमार सिंह
2. कां० इन्द्रजीत सिंह

### तृतीय टीम

1. उ०नि० जय शंकर पाण्डेय
2. कां० बृजेश कुमार गौतम



## थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय द्वारा गठित की गयी उ०नि० देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे०का० राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु०अ०स० 355/20 धारा 497ए/323/504/506 भादवि व ¾ डी.पी.एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र तेजवा उम्र करीब 65 वर्ष नि० ग्राम रिवाई थाना महोबकंठ जनपद महोबा को थाना क्षेत्र के ग्राम रिवाई से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ.नि. देवेन्द्र कुमार ओझा
2. हे०का० राघवेन्द्र सिंह

### गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

विश्वनाथ पुत्र तेजवा उम्र करीब 65 वर्ष नि० ग्राम रिवाई थाना महोबकंठ जनपद महोबा



## थाना अजनर पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया गठित पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र जग्गी राजपूत निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर संबंधित मु0नं0 4291/21 धारा 13 जुआ अधिनियम 2.देवसिंह पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर संबंधित मु0नं0 2882/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 3.रीना पत्नी गोपाल कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर सम्बन्धित मु0नं0 549/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम 4.रागिनी कबूतरा पत्नी सुसेन्द्र कबूतरा निवासी कबूतरा खोई थाना अजनर सम्बन्धित मु0नं0 6435/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, उक्त सभी वारण्टी अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार करते हुये मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

### गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

#### प्रथम टीम-

1. उ.नि. राधेश्याम सिंह 2. कां0 धर्मेन्द्र कुमार थाना अजनर जिला महोबा ।

#### द्वितीय टीम-

- 1.उ.नि. सुखलाल थाना अजनर जिला महोबा ।
- 2.कां0 विक्की चौधरी थाना अजनर जिला महोबा ।

#### तृतीय टीम-

1. उ.नि. श्यामजी यादव थाना अजनर जिला महोबा ।
2. हे0कां0 बाबूराम 3.महिला पीआरडी राम देवी थाना अजनर जिला महोबा ।



## नवरात्रि व रमजान माह के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **26.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **71** ई-चालान किये गये ।



## थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर.के. गौतम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री रामशंकर पाण्डेय मय हमराह के द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम व शान्ति व्यवस्था, तलाश वाँछित/वारण्टी के दौरान वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1. राजू चौरसिया पुत्र मोहनलाल चौरसिया उम्र 45 वर्ष निवासी मुहल्ला इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी मु0नं0 56/16 व मु0अ0सं0 929/2015 धारा 327 भादवि 2. संदीप अग्रवाल पुत्र हरिकृष्ण अग्रवाल उम्र 35 वर्ष निवासी नारूपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी मु0नं0 668/18 धारा 279/337/338 भादवि को क्रमशः मुहल्ला इमलीबरा से दिनांक 26.03.2023 समय करीब 12.30 बजे व मुहल्ला नारूपुरा से दिनांक 26.03.2023 समय 12.55 बजे गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

अभियुक्तगण क्रमशः 1. राजू चौरसिया पुत्र मोहनलाल चौरसिया उम्र 45 वर्ष निवासी मुहल्ला इमलीबरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी मु0नं0 56/16 व मु0अ0सं0 929/2015 धारा 327 भादवि 2. संदीप अग्रवाल पुत्र हरिकृष्ण अग्रवाल उम्र 35 वर्ष निवासी नारूपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित वारण्ट माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी मु0नं0 668/18 धारा 279/337/338 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस प्रथम टीम:-

1. उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 रावेन्द्र कुमार सोनकर
3. कां0 राहुल अग्निहोत्री

## थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के कुशल निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर.के. गौतम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह के द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म

जरायम व शान्ति व्यवस्था, तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान वाँछित अभियुक्त साहिल कुरैसी (मुसलमान) पुत्र भोलू उर्फ निसार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला मुकेरीपुरा महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल निवास काशीराम कालोनी बिच्छू पहाड़िया महोबा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 565/2022 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5-क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट को अशोक नगर तिराहा महोबा से दिनांक 26.03.2023 समय 14.20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

वाँछित अभियुक्त साहिल कुरैसी (मुसलमान) पुत्र भोलू उर्फ निसार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला मुकेरीपुरा महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा हाल निवास काशीराम कालोनी बिच्छू पहाड़िया महोबा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 565/2022 धारा 363/366/376(3) भा0द0वि0 व 4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5-क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
- 2.कां0 रामकुमार तिवारी



## थाना खन्ना पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना की देखरेख में गठित पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब आज दिनांक 26.03.2023 को उ०नि० भूपेन्द्र सिंह मय हमराह का० दीपक मौर्य व का० नरेन्द्र कुमार व म०का० आकांक्षा पटेल के रवानाशुदा रफता रपट रो.आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र जांच पेंडिंग अहकामात पतारसी सुरागरसी करते हुए मु०अ०स० 24/23 धारा 363/366 भादवि के अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र रामभरोसे अहिरवार निवासी ग्राम अमिलिया थाना मुस्करा जिला हमीरपुर महोबा को रेलवे स्टेशन रागौल से समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार कर लिया व अपहत्ता को भी बरामद कर लिया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ध्यातव्य है कि दिनांक 02.03.23 को वादी दिनेश पुत्र मंगल अहिरवार निवासी ग्राम सिरसीकलां के द्वारा थाना हाजा उपस्थित आकर अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में समय 19.13 बजे मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कराया था।

बरामदगी करने वाली टीम  
उ०नि० भूपेन्द्र सिंह  
का० दीपक मौर्य  
का० नरेन्द्र कुमार  
म०का० आकांक्षा पटेल



## थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के कुशल निर्देशन में, व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के नेतृत्व में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी में कबरई पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब, प्रभारी थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में उ०नि० 862700184 धर्मराज मय हमराह का० 182560864 धीरेन्द्र कुमार के द्वारा आज दिनांक 26.03.2023 को दो नफर अभियुक्त गण 1. श्यामू साहू पुत्र भूरा साहू उम्र 34 वर्ष नि०मु० शास्त्री नगर थाना कबरई जिला महोबा, 2. सुरेन्द्र साहू पुत्र सत्तीदीन साहू उम्र 24 वर्ष नि० मु० अम्बेडकर नगर कस्बा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा को छंगा तिराहा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः दोनों अभियुक्तगण के पास से एक-एक थैले में 16-16 क्वार्टर देशी शराब झूम (तनु) मसालेदार बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः मु०अ०सं० 62/2023 धारा 60 आबकारी अधि० बनाम श्यामू साहू पुत्र भूरा साहू उम्र 34 वर्ष नि०मु० शास्त्री नगर थाना कबरई जिला महोबा व मु०अ०सं० 63/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सुरेन्द्र साहू पुत्र सत्तीदीन साहू उम्र 24 वर्ष नि० मु०

अम्बेडकर नगर कस्बा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा के विरुद्ध पंजीकृत किया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभि० उपरोक्त का अभियोग जमानती होने पर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -  
उ०नि०श्री धर्मराज  
का० धीरेन्द्र कुमार



सत्तीदीन साहू उम्र 24 वर्ष नि० मु० अम्बेडकर नगर कस्बा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति:-  
32 क्वार्टर देशी शराब झूम

गिरफ्तारी का स्थान:  
छंगा तिराहा कस्बा व  
थाना कबरई जनपद महोबा  
गिरफ्तार अभियुक्त-  
1. श्यामू साहू पुत्र भूरा  
साहू उम्र 34 वर्ष नि०मु० शास्त्री  
नगर थाना कबरई जिला महोबा  
2. सुरेन्द्र साहू पुत्र



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 26.03.2023

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस